न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या– 05/2020
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–31.01.2020
निर्णय दिनांक–20.02.2020

1. लक्ष्मण पुत्र देवबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला–टोंक (राज0)
2. भंवरलाल पुत्र देवबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला–टोंक (राज0)
3. सीताराम पुत्र देवबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला–टोंक (राज0)
4. लालाराम पुत्र देवबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला–टोंक (राज0)
5. गुलाब पत्नि देवबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला–टोंक (राज0)
6. कोशल्या पुत्री देवबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला–टोंक (राज0)
7. सरजू पुत्री देवबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला–टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. भू.अभि. निरिक्षक झिराना
3. पटवारी हल्का सौंदीफल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र शीट दुरूस्ती किये जाने बाबत्
अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री एन.के.शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण–पेरोकार सरकार

दिनांकः–20.02.2020

निर्णय

प्रा0पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 306/1063 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 537/1071 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के बीच में से होकर ख0न0 307 गै0मु0 रास्ता जाता हैं जबकि मौके पर उक्त रास्ता ख0न0 306/1063 की उतरी मेड पर से होकर वर्षो से बना हुआ है तथा वर्षो से ग्रेवल सड़क बनी हुई हैं जिस पर होकर गांव के व्यक्ति व साधन आते जाते रहते हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने रास्ते की तरमीम करते समय प्रार्थी के खेतो के बीच में से हाकर रास्ते की तरमीम कर दी गई जबकि बीच में से कभी रास्ता बना हुआ नहीं था तथा प्रार्थीगण ने मौके पर दोनो खसरा नम्बरों का मौके पर एक खेत बना कर वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है दोनो खसरा नम्बरों की भूमि एक खेत के रूप में ही हैं जो नक्शा ट्रेस के देखने से ही स्पष्ट होता हैं, इस कारण जो राजस्व रिकॉर्ड की शीट में जो रास्ता अंकित हैं गलत हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

जिसको शीट में दुरूस्त किया जाकर मौके अनुसार राजस्व शीट में रास्ते की तरमीम किया जावें तथा उपरोक्त मौके अनुसार रास्ते की तरमीम किये जाने में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हैं

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थीगण से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण की और से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब पेश कर निवेदन किया की उक्त आराजी के मध्य से ख0न0 307 जो राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड हैं जो शीट में बना हुआ हैं। जो मौके पर बन्द है तथा मौके पर वर्षो से रास्ता ख0न0 306/1063 की उत्तरी मेड के समानान्तर पूर्व से पश्चिम की ओर निकला हुआ हैं जो रास्ता खातेदारान् की खातेदारी भूमि में से होकर गुजर रहा हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थीगण कि भूमि आराजी ख0न0 306/1063 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 537/1071 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सौंदीफल तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के बीच में से होकर ख0न0 307 गै0मु0 रास्ता जाता हैं जबकि मौके पर उक्त रास्ता ख0न0 306/1063 की उतरी मेड पर से होकर वर्षो से बना हुआ है तथा वर्षो से ग्रेवल सड़क बनी हुई हैं जिस पर होकर गांव के व्यक्ति व साधन आते जाते रहते हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने रास्ते की तरमीम करते समय प्रार्थी के खेतो के बीच में से हाकर रास्ते की तरमीम कर दी गई जबकि बीच में से कभी रास्ता बना हुआ नहीं था तथा प्रार्थीगण ने मौके पर दोनो खसरा नम्बरों का मौके पर एक खेत बना कर वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है दोनो खसरा नम्बरों की भूमि एक खेत के रूप में ही हैं जो नक्शा ट्रेस के देखने से ही स्पष्ट होता हैं, इस कारण जो राजस्व रिकॉर्ड की शीट में जो रास्ता अंकित हैं गलत हैं। जिसको शीट में दुरूस्त किया जाकर मौके अनुसार राजस्व शीट में रास्ते की तरमीम किया जावें। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी नक्शा ट्रेस व तहसीलदार, पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट हैं कि नक्शा शीट में जो रास्ता बना हुआ हैं वह वर्षों से बंद हैं तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 306/1063 की उत्तरी मेड के समानान्तर पूर्व से पश्चिम की और रास्ता दे रखा हैं जो वर्तमान में चालू हैं। जिससे प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों को कोई आपत्ति नहीं हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नक्शा शीट दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण भूमि आराजी ख0न0 306/1063 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा व ख0न0 537/1071 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सोंदीफल के बीच में राजस्व शीट में अंकित ख0न0 307 गै0मु0 रास्ता की तरमीम को निरस्त किया जाता हैं तथा राजस्व शीट में उक्त रास्तें की चौड़ाई के समानान्तर रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 306/1063 की उत्तरी मेड़ के समानान्तर पूर्व से पश्चिम की ओर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, पीपलू निर्णय अनुसार पालना करें। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

आज दिनांक **20.02.2020** को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner